कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 5319/गो०

प्रेषक,

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
रांची जिला।

रांची, दिनांक 20/11/2006

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की स्वीकृत योजनाओं में भुगतान की विधि एवं मास्टर रॉल संधारण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन जैसा कि आप सबों को विदित है लाभुक समिति के चयनित अध्यक्ष/सचिव के माध्यम से किया जाना है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रथम अग्रिम के उपरांत भुगतान मापी पुस्तिका मूल्यांकन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। प्रखण्ड प्रोग्राम पदाधिकारी/प्रभारी पर्यवेक्षक एवं पंचायत समन्वयक क्रियान्वयन एजेंसी को भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से अध्यक्ष/सचिव के खाते में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा कि मापी पुस्तिका की नियमित जांच सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा की जाएगी। मापी पुस्तिका मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त भुगतान को क्रियान्वयन एजेंसी (अध्यक्ष/सचिव) कार्यरत श्रमिकों को खाता के माध्यम से भुगतान करेंगे।

बैंक के माध्यम से भुगतान की स्थिति में योजना के कार्यकारी अध्यक्ष/सचिव एडवाइस के द्वारा से तथा डाकघर से भुगतान की स्थिति में समर्पित मास्टर रॉल के अनुसार राशि श्रमिक के एकाउण्ट मे जमा कराने की जवाबदेही का निर्वहन करेंगें।

मास्टर रॉल दो प्रतियों में संधारित की जायेगी । कार्यकारी एजेंसी मास्टर रॉल की द्वितीयक प्रति पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को हस्तगत कराने के उपरांत प्रथम प्रति पर इस आशय का प्रमाण–पत्र अंकित करायेगे कि द्वितीयक प्रति ग्राम प्रधान हस्तगत करा दी गई है। योजना स्थल पर उपलब्ध मास्टर रॉल कार्यावधि व भुगतान के उपरांत ग्राम प्रधान के पास सुरक्षित रखी जायेगी, जिसका अवलोकन ग्राम सभा के सदस्य सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में नियमित रूप से करेंगे। मास्टर रॉल पर निगरानी समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होगे तथा पंचायत समन्वयक भुगतान को सत्यापित करेंगे। प्रभारी पर्यवेक्षक/श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी भी मास्टर रॉल एवं जॉब कार्ड की जांच नियमित रूप से करेंगे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सभी स्वीकृत योजनाये पंचायत मद से पूरी की जानी है। इस मद में आवंटित राशि पंचायत को उपलब्ध करा दी जाये।

विश्वासभाजन

(कमल किशोर सोन)
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रांची।

ज्ञापांक................/गो॰ रांची, दिनांक................

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, रांची/सभी प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारी, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रांची।